0910022 दि0 19-6-2009

पत्र संख्याः वैट /विधि-1 (1) परिपत्र भाग (2) (08-09)- 240/

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर.उत्तर प्रदेश

वाणिज्य कर

(वैट अनुभाग)

1

दिनांक:: लखनऊ:: जून 18 ,2009

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर,

<u>उत्तर प्रदेश</u> ।

वैट अधिनियम की धारा 21 (17) में ऐसे व्यापारी जिनका वार्षिक क्रयधन / बिक्रयधन रु0एक करोड़ से ऊपर है उनका आडिट कराये जाने की व्यवस्था है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फील्ड में यह भ्रम फैला हुआ है कि टर्नओवर में बिक्रयधन / क्रयधन दोनों शामिल किया जाय अथवा बिक्रय अथवा क्रय धनराशि जो अधिक हो।

इस संबंध में विधिक व्यवस्था यह है कि अधिनियम की धारा 21(17) में "Gross Turnover of Purchase or Sale or Both का उल्लेख है" लेकिन इसके साथ ही नियम 45(1) के Explanation में aggregate टर्नओवर को परिभाषित किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कुल टर्नओवर की सीमा में निम्न शामिल किये जायेगें :-

(अ) वैट अधिनियम की धारा 5 में अपंजीकृत व्यापारियों से की गई खरीद।

(ब) अन्य सभी प्रकार की बिक्री।

इससे स्पष्ट है कि aggregate टर्नओवर में वैट अधिनियम की धारा 5 में अपंजीकृत से की गई खरीद का टर्नओवर तथा इसके अतिरिक्त अन्य सभी बिक्री का टर्नओवर शामिल किया जायेगा। इस स्थिति को वैट अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 3 के Explanation (1) में भी स्पष्ट किया गया है।

" aggregate of turnover of purchase from within the State and turnover of sale within the State or both, as the case may be, of all goods" shall mean the aggregate of the turnover of-

(a) purchase of all taxable goods where such purchases are made by the dealer from within the State from persons other than registered dealers; and

(b) sale of all goods except goods included in clause (a)where such sales are made by the dealer within the State

उपरोक्त से स्पष्ट है कि धारा 21 (17) के अर्न्तगत खरीद या बिक्री दोनों का सकल आवर्त्त रु0 एक करोड़ से अधिक होने के लिए निम्न सम्मिलित माने जायेगें :-

(अ) वैट अधिनियम की धारा 5 में अपंजीकृत व्यापारियों से की गई खरीद।

 (ब) अन्य सभी प्रकार की बिक्री जिसमें बिन्दु अ में अंकित माल की प्रान्तीय बिक्री सम्मिलत नही है।

अतः तदनुसार अधीनस्थ अधिकारियों को उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।

(अनिल संत) कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।